21. संविधान में संशोधनः संविधान में संशोधन कार्यकारिणी की बैठक में 3/5 बहुमत से किया जा सकता है, जिसकी स्वीकृति आम सभा में लेनी आवश्यक है ।

22. शर्ते : (क) संस्था की सम्पति तथा आय संस्था के हित के लिये खर्च होगी, इसमें से किसी भी सदस्य को संस्था की राशि या सम्पति का कोई भी भाग बोनस या डिवीडैंड के रूप में नहीं दिया जायेगा ।

(ख) सभी सदस्य अवैतनिक होंगे । कोई भी सदस्य वेतन नहीं लेगा ।

कार्यकारिणी या आम सभा का कोई भी सदस्य जो संस्था के कार्य के लिये अपनी जेब से खर्च करेगा वह राशि संस्था की आय में से सदस्य को दी जायेगी । संस्था के लिये किसी सदस्य से ली हुई राशि का ब्याज तथा मकान का किराया, जो संस्था के प्रयोग के लिये लिया गया हो, संस्था को आय में से देंगे ।

(ग) यदि संस्था का कोई लाभ होगा या आमदन होगी वह राशि संस्था के हित के लिये खर्च की जायेगी ।

(घ) किसी कारणवश संस्था के बंद होने के स्थिति में संस्था की जायदाद लेनदारी तथा देनदारी का कोई व्यक्ति या सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नहीं होगा अपितू ऐसी स्थित में समान विचारधारा वाली पंजीकृत संस्था को सौंप दी जायेगी ।

23. प्रथम कार्यकारिणी :संस्था के विधान के अनुसार निम्न प्रथम कार्यकारिणी को संस्था के प्रबन्ध को उत्तरदायित्व सौंपा गया जिसका विवरण इस प्रकार है –

क्रमांक	नाम	पिता का नाम श्री	पद	पता	हस्ताक्षर
1	अमर सिंह पातलान	पु० कुन्दन लाल	प्रधान	1891 सैक्टर-7 करनाल	[illegible]
2	अमर सिंह राणा	पु० श्री फूलाराम	वरिष्ठ उप प्रधान	189 कान्त विहार करनाल	
3	केहरी सिंह मानखड़	पु० श्री साधुराम	उप प्रधान	321 सैक्टर-7 करनाल	[illegible]
4	[illegible] सिंह आलान	पु० श्री सुरजन सिंह	महामन्त्री	64 गली नं: 3 कान्त वि: करनाल	[illegible]
5	देस राज डांगल	पु० श्री मुन्शीराम	वित सचिव	104 [illegible] करनाल	[illegible]
6	दुली चन्द	पु० बिशन चन्द	सह: वित सचिव	8016 राजीव कालोनी करनाल	[illegible]
7	रामकुवर मेहरा	पु० मन्शा राम	कार्य० सदस्य कार्यकारिणी	651/13 [illegible] करनाल	[illegible]
8	माईचन्द	पु० साधुराम	"	245 न्यु प्रेम कालोनी करनाल	[illegible]
9	शिव कुमार	पु० मुरारी लाल	"	1446 Sect. 4 करनाल	[illegible]